

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[ 27/7/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 2757 ]

परिशिष्ट-1

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त वर्ष 2014-15 में बजट आवंटन एवं व्यय

क	बजट आवंटन				व्यय	रिमार्क
	विवरण	बजट शीर्ष	मद	राशि		
1	आयोजना	41/3777	मजदूरी	75,000	75,000	कृषकों को स्व.समूह, चॉकी वितरण ककून संग्रहण एवं चॉकी कृमिपालन की कृषकों को मजदूरी
			प्रशिक्षण	83,000	83,000	विस्तार कृषकों को का अध्ययन भ्रमण एवं धागाकरण कार्य का प्रशिक्षण
			परिवहन	1,55,000	1,54,970	स्व.समूह चॉकी का कृषकों को परिवहन एवं उत्पादित ककून का फैक्ट्री होशंगाबाद तक परिवहन एवं कलमों का नर्सरी से कृषक के खेत तक परिवहन
			लघु निर्माण	1,00,000	1,00,000	केन्द्रों के 13 भवनों की मरम्मत
			सामग्री	3,52,000	3,52,000	निरोधीकरण सामग्री एवं अन्य सामग्री का क्रय
			अन्य प्रभार	2,05,000	2,04,728	शहतूत पौधों का क्रय
			उपकरण	2,45,000	2,45,000	कृषकों को कृमिपालन तकनीक के प्रदर्शन हेतु माउन्टेज एवं ट्रे का क्रय
			2401-00-800-1502-5626/v-42-007	आरकेव्हीवाय	44,56,250	44,56,250
		योग	56,71,250	56,70,948	-	

आयुक्त, रेशम

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त वर्ष 2015-16 में बजट आवंटन एवं व्यय

क	बजट आवंटन			व्यय	व्ययित राशि के अन्तर्गत किये गये कार्य	
	विवरण	बजट शीर्ष	मद			राशि
1	आयोजना	41/3777	मजदूरी	4,81,000	4,79,084	कृषकों को स्व.समूह, चॉकी वितरण ककून संग्रहण एवं चॉकी कृमिपालन की मजदूरी
			प्रशिक्षण	30,000	30,000	विस्तार कृषकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण
			परिवहन	2,00,000	1,99,613	स्व.समूह चॉकी का कृषकों को परिवहन एवं उत्पादित ककून का फैक्ट्री होशंगाबाद/ सारंगपुर तक परिवहन एवं कलमों का नर्सरी से कृषक के खेत तक परिवहन
			लघु निर्माण	25,000	24,969	मलबरी कृमिपालन प्रशिक्षण गृह की मरम्मत
			सामग्री	94,000	निरंक	-
			अन्य प्रभार	8,73,000	8,72,596	निरोगीकरण सामग्री कय एवं कलमों का कय
			मशीन उपकरण	5,00,000	निरंक	--
			64/3777	सामग्री	10,00,000	1,82,500
	56/6328	प्रत्यक्ष राज्य सहा.	सहायक अनुदान	1,00,000	90,000	वर्ष 2013-14 एवं पूर्व के सी.डी.पी.कृषकों को पुनरीक्षित इकाई लागत के अन्तर की राशि का भुगतान
				3,41,000	निरंक	-
2401-00-800-1502-5626/V-42-007	आरकेव्हीवाय	अनुदान	20,65,250	20,65,250	11 कृषकों को रु. 187750 की दर से अनुदान राशि का भुगतान	
			65,87,500	65,87,500	34 नवीन कृषकों को रु. 1,93,750 की दर से अनुदान राशि का भुगतान	
2	राज्य सहा. सीडीपी	56/6328	प्रत्यक्ष राज्य सहा. सीडीपी	65,87,500	65,87,500	
			योग	1,22,96,750	1,05,31,512	-

आयुक्त, रेशम